जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 23.02.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 इवेण्ट नं0-43645 द्वारा दो पक्षों के विवाद/मारपीट में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–
कालर द्वारा दो पक्षों के विवाद/मारपीट में घायल 03 व्यक्तियो (01.संजू पत्नी उत्तम, 02.रामनसीब पुत्र सुखोई, 03.कमलावती पत्नी रामनसीब निवासी ग्राम खम्हरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 असगर अली, का0 सुधीर तिवारी, हो0चा0 संजय चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 59 वाहनों से 77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.02.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 59 वाहनों से 77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार *

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 32/2025 धारा 69 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता सुनील कुमार पुत्र मोल्हू उर्फ राम मोहन निवासी ग्राम ड़डवामाली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को करमाखान नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुनील कुमार पुत्र मोल्हू उर्फ राम मोहन निवासी ग्राम ड़डवामाली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव ,हो0का0 अरविन्द यादव, का0 राधेश्याम गिरी।